

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1564/14-1 दिनांक: अलीगढ़: नवम्बर 09, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:— अलीगढ़ में दिल्ली-अलीगढ़ मार्ग (एन०एच०-91) किमी० 126 चैनैज 125.910 की दायीं पटरी पर ग्राम-सिकन्दरपुर भुकरावली के खसरा संख्या-28 में बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.055668 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

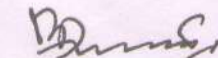
संदर्भ:— आपका पत्र संख्या 1185/अलीगढ़/27643/2017 दिनांक 26.10.2017

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने पत्र संख्या 1541/Others/27643/UP-0197/2017 दिनांक 08.11.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ से प्राप्त आख्या के आधार पर आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार किया जाता है।

क्र०सं०	आपत्तियां	निराकरण
1	ऑन लाइन पार्ट-2 के बिन्दु-3 की सूचना अंकित नहीं है।	ऑन लाइन पार्ट-2 के बिन्दु-3 की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
2	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में निकासी मार्ग एवं कर्व भाग की गणना का योग 210.58 के स्थान पर 210.52 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में निकासी मार्ग एवं कर्व भाग की गणना का योग 210.58 अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में प्रवेश, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग की गणना में निकासी भाग का क्षेत्रफल 210.58 वर्ग मी० के स्थान पर 210.585 वर्ग मी० अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग की गणना में निकासी भाग का क्षेत्रफल 210.58 वर्ग मी० अंकित कर दिया गया है।
4	गैर वन भूमि की गणना में क्षेत्रफल 625 वर्ग मी० के स्थान पर 325 वर्ग मी० अंकित किया गया है।	गैर वन भूमि की गणना में क्षेत्रफल 625 वर्ग मी० अंकित कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रस्ताव मूल में 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

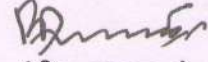
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

12

पत्रांक: 1864 / 14-1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि— प्रादेशिक प्रबन्धक, बी०पी०सी०एल०, प्लॉट सी-1, रोड नं०-26 इण्डस्ट्रियल एरिया, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

